भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3238
दिनांक 08 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

3238. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:
श्री गणेश सिंह:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में लिंग असंतुलन और घटते बालक-बालिका अनुपात के मुद्दे का समाधान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2014 से बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना के अंतर्गत जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा की गई/प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के सतना जिले को उच्च प्राथमिकता वाले जिले के रूप में विशिष्ट रूप से शामिल किया गया है; यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) बीबीबीपी के उद्देश्यों/महत्व का ब्यौरा क्या है और इसके प्रमुख घटकों/फोकस क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ड.) बीबीबीपी के आरंभ से इसके अंतर्गत आबंटित/उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेप और मीडिया एडवोकेसी का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या लिंग असंतुलन और घटते बाल लिंग अनुपात के मुद्दे को हल करने में मदद करने के लिए 22 जनवरी, 2015 को योजना शुरू होने के बाद से बीबीबीपी व्यय 2018-19 के 244.73 करोड़ रुपये से कम होकर 2022-23 में 91.98 करोड़ रुपये हो गई है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से **(च)**: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी ताकि बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) में गिरावट एवं जीवन चक्र निरंतरता में

बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तीकारण से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जा सके। 15वें वित्त आयोग की अवधि में, मिशन शक्ति के संबल वर्टिकल के अंतर्गत एक घटक के रूप में बीबीबीपी का विस्तार किया गया है ताकि बहु-क्षेत्रीय कार्यकलापों के माध्यम से मध्य प्रदेश के सतना जिले सहित देश के सभी जिलों को कवर किया जा सके, जिससे जमीनी स्तर पर प्रभाव डालने वाली गतिविधियों पर अधिक व्यय को बढ़ावा मिले।

बीबीबीपी योजना सरकारी एजेंसियों, मीडिया, नागरिक समाज एवं व्यापक रुप से आम जनता सहित विभिन्न हितधारकों को संगठित करके एक नीतिगत पहल से राष्ट्रीय आंदोलन में तब्दील हो गई है। इस आंदोलन का उद्देश्य न केवल लिंग अनुपात और लिंग आधारित भेदभाव से संबंधित तात्कालिक चिंताओं का समाधान करना है, बल्कि बालिकाओं को महत्व देने तथा उनके अधिकारों और अवसरों को सुनिश्चित करने की दिशा में सांस्कृतिक बदलाव को बढ़ावा देना भी है।

इस योजना में विभिन्न हितधारकों को जानकारी देकर प्रभावित, प्रेरित, शामिल करके और सशक्त बनाकर बालिकाओं के प्रति मानसिकता एवं व्यवहार में परिवर्तन लाने पर विशेष दयां दिया जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए मंत्रालय ने एक परिचालन नियमावली (मैनुअल) तैयार की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बालिकाओं के समग्र विकास के लिए माहवार विशिष्ट विषयों के साथ जिला स्तर पर सुझाई गई तालमेल गतिविधियों के लिए एक विषयगत कैलेंडर शामिल है ताकि बालिकाओं, उनके परिवारों और समुदायों की वर्ष भर सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।

2020-21 तक जिलों की एसआरबी स्थिति (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एचएमआईएस डेटा के अनुसार) के आधार पर अब राज्य एकल नोडल एजेंसी/एसएनए स्पर्श मॉड्यूल के माध्यम से निधि जारी की जाती है। जिन जिलों का एसआरबी 918 या उससे कम है, उन्हें प्रति वर्ष 40 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है, जिन जिलों का एसआरबी 919 से 952 है, उन्हें प्रति वर्ष 30 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है तथा जिन जिलों का एसआरबी 952 से अधिक है, उन्हें प्रति वर्ष 20 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, आगामी वर्षों में गठित किए जाने वाले किसी भी नए जिले को भी 30 लाख रुपये की सीमा के अंतर्गत रखा जाएगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएंडएफडब्ल्यू) की स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) की रिपोर्ट से पता चलता है कि एसआरबी में सुधार दिख रहा है और 2014-15 से 2023-24 तक राष्ट्रीय स्तर पर यह 918 से बढ़कर 930 हो गया है।

शिक्षा मंत्रालय के यूडीआईएसई आंकड़ों के अनुसार, माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात 2014-15 में 75.51% से बढ़कर 2023-24 में 78% हो गया है।

बीबीबीपी के अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी निधि सहित मंत्रालय द्वारा कुल व्यय इसकी शुरुआत से लेकर 2024-25 तक 969.59 करोड़ रुपये है।

****